संख्याः टूर-19/झारखण्ड/2014

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

राजकीय दौरे के अनुसार दिनांक 25-10-2014 को मैं पाखर (किस्को प्रखंड) गाँव गया । यह लोहरदगा से पश्चिम में एक पहाड़ी पर अवस्थित है । इस गाँव के लोगों ने शिकायत की थी कि वे वन विभाग की जमीन में वर्षों से घर बनाकर रहते आ रहें हैं और खेती बाड़ी भी कर रहे हैं । लेकिन दरखास्त देने पर भी जिला द्वारा इन लोगों को भूमि का पट्टा नहीं दिया गया, जिसका प्रावधान वन अधिकार कानून 2006 में किया गया है । मेरे साथ जिला प्रशासन के सिविल पदाधिकारी भी गये हुये थे । लेकिन नोटिस देने के बाद भी वन विभाग से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे ।

106/CP/2015
16-1-2015

(1) हम सभी पंचायत भवन पाखर पहुंचे जहाँ करीब 150-200 ग्रामीण जमा हुये थे । जाँच के दरम्यान श्री बिजेन्द्र पाहन ने बताया कि ठेपाटोली (पाखर) में सात एकड़ जमीन उनके कब्जे में है । इन्होंने पंचायत में दरखास्त दिया जहाँ इनको कहा गया कि अभी दो एकड़ जमीन का ही दरखास्त दे । इनके द्वारा यह दरखास्त वन अधिकार कानून पास होने के बाद दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ।

(2) श्री सनिया पाहन (नगेसिया), झोक पानी (पाखर) ने बताया कि पाखर जंगल में लगभग 8-9 एकड़ भूमि में वे वर्षो से जोत कोड़ करते आ रहें हैं । इन्हें कहा गया था कि परिवार के लोग 2-2 एकड़ जमीन का दरखास्त दें । इनके परिवार के तीन सदस्यों ने 2-2 एकड़ के लिए दरखास्त दिया है । इन्होंने नक्शा बनाकर दिया जैसा कि अमीन ने इनको सलाह दी थी । लेकिन काफी वर्ष बीत जाने के बाद भी इन लोगों को भूमि का पट्टा नहीं मिला है ।

(3) श्री सोमरा नगेसिया पिता श्री शनिचर नगेसिया बहेरा कोना (पाखर) ने बताया कि जंगल में इनकी जमीन है जिस पर वर्षो से जोत कोड़ करते आ रहे हैं । इन्हें बताया गया कि 2006 में वन अधिकार कानून पास हुआ है, लेकिन अभी तक इन्होंने दरखास्त नहीं दिया है । मैंने इनको दरखास्त देने की सलाह दी ।

(4) श्री सुखदेव पिता श्री महरंग नगेसिया, ठेपाटोली (पाखर) ने बताया कि पंचायत की सलाह पर इन्होंने 2 एकड़ भूमि हेतू पट्टा के लिए आवेदन दिया है जो कि खानदानी तौर पर इनके कब्जे में है । लेकिन अभी तक पट्टा नहीं मिला है । इस तरह अन्य नगेसिया लोग भी है, जिनका वन भूमि पर कब्जा है उन्हें सरकार द्वारा भूमि का पट्टा नहीं दिया गया है जबकि 2006 में वन अधिकार कानून पास हो गया है ।

रामेश्वर | 3/15

(5) श्री कुँअर नगेसिया वर्षो से वन भूमि जोत कोड कर रहे हैं । वन अधिकार कानून बनने के पूर्व इन पर वन विभाग द्वारा केस किया गया था । दरखास्त भी दिया था लेकिन इन्हें अभी तक पट्टा नहीं मिला है ।

(6) लोगों ने बताया कि इनके गाँव में पेयजल की व्यवस्था नहीं है । वे झरने का पानी पीते हैं । कुछ चांपाकल बने हुये हैं लेकिन कार्यरत्त नहीं है । पी.एच.ई.डी. विभाग के उपस्थित पदाधिकारी ने बताया कि वे जल्द ही स्पेशल रिपेयर के तहत उनको कार्यरत्त बना देंगें ।

(7) श्री मंगल नगेसिया ने बताया कि बिजली की व्यवस्था नहीं है । छः साल पहले सोलर लालटेन बांटे गये थे । लेकिन कुछ महीने के अन्दर सभी सोलर लालटेन खराब हो गये । गाँव में प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिये ।

(8) श्री विनोद कुमार नगेसिया ने सलाह दी कि झरने के पानी को लिफ्ट द्वारा व्यवस्था कर पेयजल की आपूर्ति की जा सकती है ।

(9) लोगों ने बताया इस गाँव में अभी तक कक्षा सात तक ही पढ़ाई होती है । यहाँ हाईस्कूल की स्थापना होनी चाहिये और साथ ही होस्टल की व्यवस्था हो तो यहाँ सलईया, बोन्डो बार, पेशरार एवं देवधरिया ग्राम पंचायत के लड़के लड़कियां आकर पढ़ सकते हैं ।

(10) उपस्थित पदाधिकारियों ने बताया कि पट्टा वितरण संबंधी मामले जिला वन पदाधिकारी कार्यालय में लंबित है । नोटिस दिये जाने के बाद भी जिला वन पदाधिकारी न स्वयं उपस्थित हुये और न ही किसी सक्षम पदाधिकारी को प्राधिकृत किये । वे पाखर एवं आस-पास के लोगों से प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा दें एवं इस पर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन शीघ्र दें ।

(11) उपायुक्त लोहरदगा को निम्न सलाह दी जाती हैं-

(क) पाखर एवं आस-पास के इलाकों में बसे नगेसिया जनजाति के लोग काफी पिछड़े हैं । इनके बीच शिक्षा का अभाव है । अतः 2006 वन अधिकार कानून के विषय में इन लोगों को पूर्ण जानकारी नहीं होगी । सलाह दी जाती है कि पहाड़ी पर बसे इन गाँवों में वन अधिकार कानून की जानकारी सुनिश्चित करावें । यह काम बी.डी.ओ. एवं अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिये । उपर्युक्त जिन लोगों ने दावा किया है कि वे वन भूमि पर वन अधिकार कानून बनने के पहले से काबिज है और भूमि के पट्टे हेतू आवेदन किया है,

10G/CPI/2015
16-1-2015

उसकी शीघ्र जाँच होनी चाहिये और यथाशीघ्र पट्टा वितरण हेतू उचित कार्रवाई की जानी चाहिये ।

(ख) पहाड़ों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है । लोग झरना से पानी पी रहें हैं । अतः उपायुक्त लोहरदगा पेयजल आपूर्ति विभाग को निर्देश देकर इस पर कार्रवाई करें । ऊपर दी गई सलाह कि झरना के पानी को लिफ्ट की व्यवस्था कर गाँव में पेयजल की व्यवस्था पर विचार होना चाहिये ।

106/CP/2015
16-1-2015

(ग) उपायुक्त/जिला शिक्षा पदाधिकारी लोहरदगा द्वारा जाँच उपरान्त पाखर में हाईस्कूल शुरू करने की अनुशंसा शिक्षा विभाग झारखण्ड सरकार को दिया जाना श्रेयकर होगा । हाईस्कूल की स्थापना के साथ-साथ वहाँ आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा होस्टल निर्माण पर भी प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

उपरोक्त संबंध में कार्रवाई उपरान्त एक प्रतिवेदन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को एक माह के अन्दर भिजवाये ।

रामेश्वर उराँव

(डा. रामेश्वर उराँव)
16-01-2015

संयुक्त सचिव

उचित कार्यवाही हेतु

20.1.15

निदेशक